

NOTICE

Constitution of School Level Fee Regulation Committee (SLFRC)

Dear Parents/Guardians,

This is to inform you that as per the directions issued by the Directorate of Education, Government of NCT of Delhi, vide Order No. DE.15(431)/PSB/2025/9744-9752 dated 24.12.2025, under the Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 and Rules, 2025, every school is required to constitute a School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) for the Academic Session 2025-26.

About SLFRC

The SLFRC is a statutory committee constituted to ensure transparency and fairness in fixation and regulation of school fees. The committee includes representation from:

- School Management
- Parents
- Teachers
- Department of Education (Observer)

Selection of Parent Representatives

- Five (5) Parent Representatives will be selected through a transparent and public draw of lots from among eligible parents.
- All parents/guardians of students currently enrolled in the school are eligible for the draw except parents of students admitted under EWS/DG/CWSN categories, as per government rules.
- To ensure wider participation, only one parent/guardian per family will be included in the SLFRC.

Draw of Lots - Details

Date: 07/01/2026

Time: 10 a.m

Venue: School Ground

The draw will be conducted in a fair, transparent, and public manner in the presence of the Department of Education Nominee/Observer.

Parents are requested to be present mandatorily at the above-mentioned date, time, and venue.

Important Information

- The final list of SLFRC members will be displayed on the school notice board and uploaded on the school website after completion of the draw.
- The committee will examine and decide on the fee proposal for the Academic Session 2025-26 as per the prescribed timelines.

We request the cooperation of all parents to ensure smooth and transparent implementation of the above government directions.

By Order of the School Management

Principal / Head of School - Ms. Indu

Name of School: Little Fairy Public School

सूचना

विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (SLFRC) के गठन के संबंध में

प्रिय अभिभावकगण,

आपको सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या DE.15(431)/PSB/2025/9744-9752 दिनांक 24.12.2025, जो कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं शुल्क विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 एवं नियम, 2025 के अंतर्गत है, के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय स्तरीय शुल्क विनियमन समिति (School Level Fee Regulation Committee - SLFRC) का गठन करना अनिवार्य है।

SLFRC का उद्देश्य

SLFRC का गठन विद्यालय शुल्क के निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। इस समिति में निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व होगा:

- विद्यालय प्रबंधन
- अभिभावक प्रतिनिधि
- शिक्षक प्रतिनिधि
- शिक्षा निदेशालय का नामित पर्यवेक्षक

अभिभावक प्रतिनिधियों का चयन

- पाँच (05) अभिभावक प्रतिनिधियों का चयन पारदर्शी एवं सार्वजनिक लॉटरी (ड्रा) के माध्यम से किया जाएगा।
- विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्रों के अभिभावक/अभिभाविकाएँ ड्रा में सम्मिलित होंगे, सिवाय EWS/DG/CWSN श्रेणी के अंतर्गत प्रवेशित छात्रों के अभिभावकों के, जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं हैं।
- एक परिवार से केवल एक अभिभावक/अभिभाविका को ही SLFRC में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

लॉटरी (ड्रा) का विवरण

दिनांक: 07/01/2026

समय: 10 a.m

स्थान: स्कूल ग्राउंड

ड्रा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी ढंग से शिक्षा निदेशालय के नामित पर्यवेक्षक की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी।

सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर इस प्रक्रिया में भाग लें।

महत्वपूर्ण सूचना

- SLFRC के अंतिम रूप से चयनित सदस्यों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित/अपलोड की जाएगी।
- SLFRC द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु शुल्क प्रस्ताव पर विचार कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

आप सभी अभिभावकों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

विद्यालय प्रबंधन के आदेशानुसार

प्रधानाचार्य / विद्यालय प्रमुख - श्रीमती इंदु

विद्यालय का नाम: लिटिल फेयरी पब्लिक स्कूल